परिशिष्ट (1) [18/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1161]

1	**सी 2791** – अतिथि शिक्षकों को अलग–अलग कालखण्ड के हिसाब से दिये जा रहे मानदेय के स्थान पर मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग–1 को अधिकतम रू 9000/– के स्थान पर रू 18000/–, अतिथि शिक्षक वर्ग–2 को अधिकतम रू 7000/– के स्थान पर रू 14000/– एव अतिथि शिक्षक वर्ग–3 को अधिकतम रू 5000/– के स्थान पर रू 10000/– प्रतिमाह मानदेय देय होगा।	अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय हेतु म.प्र. शासन के पत्र क्र/2032/1226/2022/20–2 दिनांक 29.09.2023 से आदेश जारी किया गया। घोषणा का पालन हो चुका है।
2	**सी 2792** – अतिथि शिक्षकों के साथ अनुबन्ध पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये किया जाएगा।	अतिथि अध्यापन व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थाई स्वरूप की है। सामान्यतः रिक्त पदों पर एवं नियमित शिक्षकों के अवकाश पर जाने/स्थानान्तरण/सेवानिवृति की स्थिति में अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है।
3	**सी 2793** – शिक्षकों को आगामी भर्तियों में 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।	भर्ती नियमों में संशोधन हेतु नस्ती विधि विभाग को प्रेषित की गई है।
4	**सी 2794** – उच्च शिक्षा विभाग की भांते अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 20 अंक अनुभव के प्रदान किये जाएगे।	अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किये गये कार्य के लिये अनुभव के अंक उनके स्कोर कार्ड मे सत्र 2024–25 से प्रदान किये गये हैं।
5	**सी 2795** – नियमित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह नियमित मानदेय प्रदाय किया जाएगा।	प्रतिमाह अतिथि शिक्षकों को नियमित मानदेय प्रदान करने हेतु म.प्र. शासन के पत्र क्र/2032/1226/ 2022/20–2 दिनांक 29.09.2023 से निर्देश जारी किए गए हैं।
6	**सी 2796** – गुरूजी नियमितीकरण प्रक्रिया की तरह अतिथि शिक्षको को भी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर नियमित किये जाने की योजना बनाई जाए।	1. वर्तमान में पात्रता परीक्षा एवं तदुपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है। 2. अतिथि शिक्षकों के लिये शिक्षकों की सीधी भर्ती में 25 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। रिक्त पदों की संख्या में सीधी भर्ती के पदों के साथ पदोन्नति के पदों की संख्या भी सम्मिलित होती है। 3. सीधी भर्ती के रिक्त समस्त पद पूर्व से ही विज्ञापित हैं तथा भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। सीधी भर्ती के रिक्त पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (बैक लॉग) के पद हैं। 4. प्राथमिक शिक्षकों को छोड़कर शेष में विषयमान से भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावसायिक योग्यता भी आवश्यक होती है। 5. अतिथि शिक्षक की व्यवस्था तात्कालिक है, जबकि सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर प्रवर्गवार की जाती है। आरक्षित प्रवर्ग के पदों पर अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक पात्रता परीक्षा अयोजन में कठिनाई है ।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

(हस्ताक्षर)
संयुक्त संचालक